विशेष आपराधिक प्रकरण क.–27/2020

न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (छ.ग.)

(पीठासीन अधिकारी – आनंद प्रकाश दीक्षित)

विशेष आ.प्र.क.–27/2020

सी.आई.एस. न.–27/2020

संस्थित दिनांक– 01/07/2020

छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारा–आरक्षी केन्द्र खडगंवा

जिला–कोरिया (छ.ग.)

————अभियोजन

// विरुद्ध //

1. अभियुक्त–X

2. अभियुक्त–Y

3. अभियुक्त–Z

(पीडिता की अभियुक्तगण से नातेदारी होने से पीडिता की पहचान गोपनीय रखने के उद्देश्य से अभियुक्तगण को X,Y,Z के नाम से संबोधित किया जा रहा है, अभियुक्तगण का नाम, पता इत्यादि विवरण पृथक से बंद लिफाफे में सीलबंद कर रखा जाता है जो कि निर्णय का भाग होगा।)

————————अभियुक्तगण

अभियोजन की ओर से	श्री जी.एस.राय विशेष लोक अभियोजक।
अभियुक्तगण–X, Y की ओर से	श्री रविन्द्र जायसवाल अधिवक्ता।
अभियुक्त–Z की ओर से	श्री शफीक खान अधिवक्ता।

निर्णय
(आज दिनांक 08.02.2022 को घोषित)

1. **अभियुक्त कमांक–1** जो कि पीडिता का दादा है के विरूद्ध अभियोग है कि उसने माह दिसम्बर 2018 से दिनांक 12.05.2020 के मध्य पीडिता

Scanned with CamScanner

के साथ कई बार बलात्संग किया, पीडिता को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया साथ ही पीडिता के साथ कई बार मैथुन कर गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला किया, ऐसा कर **धारा 376 (2)(ढ़), 506 भारतीय दण्ड संहित (जिसे आगे भा.द.सं. से संबोधित किया जावेगा)** तथा **धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (जिसे आगे अधिनियम से संबोधित किया जावेगा)** का दण्डनीय अपराध कारित किया। **अभियुक्त कमांक–2** जो कि पीडिता का चाचा है के विरूद्ध अभियोग है कि उसने पीडिता के साथ बलपूर्वक मैथुन कर बलात्संग किया, पीडिता को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया साथ ही पीडिता के साथ मैथुन कर गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला किया ऐसा कर **धारा 376 (2)(च), 506 भा.द.सं.** तथा **अधिनियम की धारा 6** का दण्डनीय अपराध कारित किया। **अभियुक्त कमांक–3** जो कि पीडिता की दादी है के विरूद्ध अभियोग है कि उसने अपने रहवासी मकान में सहअभियुक्त कमांक–1 द्वारा पीडिता के साथ बलात्संग/गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला किये जाने में सहयोग कर दुष्प्रेरण किया तथा अपने रहवासी मकान में सहअभियुक्त कमांक–1 द्वारा पीडिता के साथ गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला किये जाने में पुलिस को सूचना देने में विफल रही, ऐसा कर **अधिनियम की धारा 17 तथा धारा 21** का दण्डनीय अपराध कारित किया।

2. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण तथ्य स्वीकृत नही है।

3. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडिता के माता पिता शराब पीकर घर में अशांति का माहौल बनाते थे जिससे परेशान होकर पीडिता माह दिसम्बर वर्ष 2018 में अपने दादा दादी के घर चली गयी जहां पीडिता के दादा ने पीडिता के साथ जबरन बलात्संग किया, पीडिता पुनः अपने माता पिता के घर वापस आ गयी लेकिन पीडिता के माता पिता द्वारा आये दिन

Scanned with CamScanner

शराब सेवन करने से पीडिता परेशान होकर अपने दादा दादी के घर चली गयी जहां पीडिता का दादा जब उसकी इच्छा होती थी, पीडिता के साथ गलत काम करता था जिसके संबंध में पीडिता अपनी दादी को बताती थी परंतु पीडिता की दादी पीडिता को डांट कर चुप रहने के लिए बोलती थी तथा यह कहती थी कि इस बात को दूसरे को बताओगी तो तुम्हारी बदनामी होगी, पीडिता अपने चाचा के घर गयी थी तब रात में पीडिता के चाचा ने पीडिता को जबरन उठाकर भैंसा ढूंढने जाने बोलकर भुकभुकी जंगल ले जाकर पीडिता को टांगी दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर जबरन पीडिता के साथ गलत काम किया जिसके संबंध में पीडिता अपनी दादी को बताई थी परंतु दादी पुनः डांट फटकार कर चुप रहने के लिए बोली, दिनांक 13.05.2020 को पीडिता के दादा ने पीडिता के साथ आखरी बार गलत काम बलात्कार किया जिससे परेशान होकर पीडिता आत्महत्या करने की नियत से चुहा मारने की दवाई खा ली थी, पीडिता की शिकायत के आधार पर आरक्षी केन्द्र–खडगंवा द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध **अपराध कमांक 106/2020** अंतर्गत धारा 376, 506, 368, 109 भा.दं.सं. एवं अधिनियम की धारा 4, 6, 17, 21 के अपराध में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर विवेचना पश्चात अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त के अपराध में अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया।

Scanned with CamScanner

में अभियुक्तगण पर विश्वास कर उनके पास गयी थी परंतु अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता के विश्वास को खंडित कर पीड़िता के मानसिक पटल पर कभी न मिट सकने वाला आघात पहुंचाया गया जिससे परेशान होकर पीड़िता द्वारा अपने जीवन को समाप्त करने जैसा कदम उठाया गया, जिसे दंड के प्रश्न पर विचार करते समय नजर अंदाज नहीं किया जा सकता, परिणाम स्वरूप अभियुक्तगण द्वारा कारित घृणित कृत्य तथा उक्त कृत्य से पीड़िता को पहुंचे आघात को ध्यान में रखते हुए अभियुक्तगण को निम्नानुसार दंड से दंडित किया जाता है:–

1. अभियुक्त कमांक–1 को **अधिनियम की धारा 6** के अपराध में **आजीवन कारावास** जिसका अभिप्राय शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा तथा **1000/– रूपये (अक्षरी–एक हजार रूपये) के अर्थदंड** से दंडित किया जाता है, अर्थदण्ड की राशि अदा करने में व्यक्तिकम होने की दशा में **एक वर्ष के सश्रम कारावास** से दंडित किया जाता है।

2. अभियुक्त कमांक–2 को **धारा 506 (भाग–दो) भा.द.सं.** के अपराध में **2 वर्ष के सश्रम कारावास** तथा **500/– रूपये (अक्षरी–पांच सौ रूपये) के अर्थदंड** से दंडित किया जाता है, अर्थदण्ड की राशि अदा करने में व्यक्तिकम होने की दशा में **एक माह के सश्रम कारावास** से दंडित किया जाता है।

3. अभियुक्त कमांक–2 को **अधिनियम की धारा 6** के अपराध में **आजीवन कारावास** जिसका अभिप्राय शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा तथा **1000/– रूपये (अक्षरी–एक हजार रूपये) के अर्थदंड** से दंडित किया जाता है, अर्थदण्ड की राशि अदा करने में व्यक्तिकम होने की दशा में **एक वर्ष के सश्रम कारावास** से दंडित किया जाता है।

Scanned with CamScanner

4. अभियुक्त कमांक–3 को **अधिनियम की धारा 6 सहपठित धारा 17** के अपराध में **20 वर्ष के सश्रम कारावास** तथा **1000/– रूपये (अक्षरी–एक हजार रूपये) के अर्थदंड** से दंडित किया जाता है, अर्थदण्ड की राशि अदा करने में व्यक्तिकम होने की दशा में **एक वर्ष के सश्रम कारावास** से दंडित किया जाता है।

5. अभियुक्त कमांक–3 को **अधिनियम की धारा 21** के अपराध में **6 माह के सश्रम कारावास** तथा **500/– रूपये (अक्षरी–पांच सौ रूपये) के अर्थदंड** से दंडित किया जाता है, अर्थदण्ड की राशि अदा करने में व्यक्तिकम होने की दशा में **एक माह के सश्रम कारावास** से दंडित किया जाता है।

22. अभियुक्तगण को दी गई सारवान कारावास की सजा एक साथ भुगताये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

23. अभियुक्तगण द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा किये जाने पर अपील न होने की दशा में अपील अवधि अवसान पश्चात उक्त राशि पीडिता को हुई शारीरिक व मानसिक क्षति के लिए बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

24. अभियुक्तगण द्वारा अभिरक्षा में बिताई गयी अवधि उनको दी गई सारवान कारावास की सजा में समायोजित किया जावे, तत्संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र तैयार किया गया जो कि निर्णय का भाग होगा।

25. अभियुक्तगण की ओर से धारा 437 (क) द.प्र.सं. के पालन में प्रस्तुत मुचलका उक्त प्रावधान अनुसार 6 माह की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।

Scanned with CamScanner